ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *166
TO BE ANSWERED ON 17.03.2025

Prime Minister's Employment Generation Programme

*166. MS. INDU BALA GOSWAMI:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether any financial assistance is provided to unemployed youth to start a business under Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP);
(b) if so, the details thereof; and
(c) whether there is a provision of granting loan to start own business under the said Programme, if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI JITAN RAM MANJHI)

(a) to (c): A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION No. 166 FOR ANSWER ON 17.03.2025

(a) to (c): To assist prospective entrepreneurs including unemployed youth in setting up of new enterprises in the non-farm sector, financial assistance is provided in the form of Margin Money (MM) subsidy on the project cost under the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) being implemented by Ministry of MSME, through Khadi and Village Industries Commission (KVIC).

The categories of beneficiaries, applicable subsidy rates and percentage of contribution under PMEGP is given below:

Categories of beneficiaries	**Beneficiary's contribution**	**Rate of Subsidy (of project cost)**	
Area (location of project)		**Urban**	**Rural**
General Category	10%	15%	25%
Special Category [including SC, ST, OBC, Minorities, Women, Ex-Servicemen, Transgenders, Differently abled, NER, Aspirational Districts, Hill and Border areas (as notified by the Government) etc.]	05%	25%	35%

The maximum cost of project is Rs. 50 lakh in manufacturing sector and Rs. 20 lakh in service sector under the Scheme. Bank sanctions 90% of the project cost as a loan in case of General Category of beneficiary and 95% in case of Special Category of the beneficiary for setting up of the enterprise.

Since FY 2014-15 till FY 2023-24, more than 6.86 lakh micro enterprises have been assisted with loans sanctioned amounting to Rs 53,296 crores with Margin Money (MM) subsidy of Rs. 19,739crore generating employment opportunities to more than 54 lakh persons.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *166

उत्तर देने की तारीख 17.03.2025

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

*166. **सुश्री इंदु बाला गोस्वामीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देने का प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 17.03.2025 को उत्तर हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 166 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (ग): गैर-कृषि क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने में बेरोजगार युवाओं सहित भावी उद्यमियों की सहायता करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत परियोजना लागत पर मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियों, लागू सब्सिडी दरों और अंशदान का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

लाभार्थियों की श्रेणियाँ	**लाभार्थी का अंशदान**	**सब्सिडी की दर (परियोजना लागत का)**	
क्षेत्र (परियोजना का स्थान)		**शहरी**	**ग्रामीण**
सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
विशेष श्रेणी [एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिले, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र (सरकार द्वारा यथाअधिसूचित) आदि शामिल हैं।]	05%	25%	35%

इस स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये है। उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी के मामले में परियोजना लागत का 90% तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थी के मामले में 95% ऋण के रूप में स्वीकृत करता है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, 19,739 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के साथ 53,296 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सहित 6.86 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे 54 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए।

****

सुश्री इंदु बाला गोस्वामीः माननीय सभापति जी, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 13,554 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बैंकों से लोन लेकर कारोबार शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जाती है? कृपया इसका ब्यौरा दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री जीतन राम माँझी : सभापति महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो अभी परिस्थिति है, उसके अनुसार हमारे पास कुल इकाईयों का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया गया है और कुल इकाईयों के 50 प्रतिशत से अधिक एससी, एसटी, महिला उद्यमियों के लिए स्थापित किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत दोगुनी होकर 50 लाख रुपये के सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशेष वर्ग के लाभार्थियों के लिए 35 प्रतिशत उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है। PMEGP आवेदन अब 11 क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए हैं। माननीय सदस्या जी ने विवरण की बात कही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2021-22 में हम लोगों ने 2,927.39 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी दी है और 1,03,219 इकाईयों की सहायता की गई है। इसमें 2021-22 में 8,25,752 का अनुमानित रोजगार है। हम लोगों ने 2022-23 में 2,722.17 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है और इसमें 85,167 करोड़ की सहायता दी गई है। अनुमानित सृजित रोजगार 6,81,336 लोगों को दिया है। महोदय, 2023-24 में हम लोगों ने 3,93,088 की मार्जिन मनी दी है। इसमें अनुमानित सृजित रोजगार 7,12,984 है। सब मिलाकर हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत काफी लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं और उसमें इकाईयों का नाम भी बता दिया गया है। इसके अलावा हमने ईयर वाइज़ अनुमानित रोजगार का भी डेटा दिया है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Ms. Indu Bala Goswami.

सुश्री इंदु बाला गोस्वामी : मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा सप्लिमेंटरी प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शहरी इलाकों में भूतपूर्व सैनिक, विकलांग और महिलाओं को अनुदान देने का प्रावधान है? कृपया इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान कीजिए।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री जीतन राम माँझी : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर के शुरू में ही बता दिया था कि हम जो लाभ देते हैं, उसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक,

दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर या पूर्वी-उत्तर क्षेत्र के पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों या आकांक्षी जिलों से संबंधित लाभार्थियों को 35 प्रतिशत तक उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary question number three, Shri M. Shanmugam.

SHRI M. SHANMUGAM: Sir, for MSME units, bank loan is granted to start the business. Most of the MSME units supply their production to the major private companies and PSUs. When PSU unit or private company is closed down and referred to NCLT, those big companies have the provision to get back their assets, after paying liabilities. However, in the case of ancillary units like MSME, they are not in a position to repay the bank loan and their production materials remain dumped. So, I would like to know from the Minister as to what the remedy in such cases is and how the MSME will get the relief because, for no fault of theirs, MSMEs are suffering.

श्री जीतन राम माँझी : माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का प्रश्न है, इसके तहत उनको facilitate करने के लिए आज तक जो कार्य किए गए हैं, उनमें Margin Money subsidy के रूप में लगभग 27 करोड़ 84 लाख के आसपास employment provide किए गए हैं। उसी तरह से इसमें 81.50 लाख persons को, Financial Year 2014-15 से 2024-25 तक, जो 10.3.2025 तक के हैं, उसमें करीब 7.27 लाख micro enterprises companies को assist किया गया है, जिसमें हम लोगों ने Margin Money दिया है। इस प्रकार से हम लोगों ने 21,345.4 करोड़ employment generation opportunities को, more than 57, यानी 58 लाख persons को पिछले 10 वर्षों में लाभान्वित किया है। इस तरह से कहा जा सकता है कि पहले के बनिस्बत आज हम लोगों ने उनके 85 प्रतिशत लाभांश को भी increase किया है। उसी तरह से जो units establish हुई हैं, उनमें लगभग 176 प्रतिशत increase किया गया है। महोदय, इसमें दूसरी बात यह है, जैसा पहले भी कहा गया था कि हम लोग इसमें especially Scheduled Castes के लिए, Scheduled Tribes के लिए और अन्य विशेष वर्गों के लिए भी विशेष priority देते हैं। इसमें loan guarantee का जो प्रश्न है, उसे आज collateral-free करके 5 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह से हम लोग PMEGP में लोगों को facilitate करने का प्रयास कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shri Saket Gokhale.

SHRI SAKET GOKHALE: Mr. Chairman, Sir, we are very happy to have you back in the House again. Sir, this question pertains very specifically under the PMEGP, the Prime Minister's Employment Generation Programme, the Applications Received *versus* Rejection. This is on the PMEGP Dashboard, that is where the numbers are from. In 2021-22, only 27 per cent applications were approved; in 2022-23, 31 per

cent approved; in 2023-24, 32 per cent approved and in 2024-25, only 30 per cent. Basically, there is almost a 70 per cent rejection rate for applications that are received under the Scheme. My question to the hon. Minister, very specifically, is this. Why is there such a high rejection rate of applications which is almost 70 per cent? What steps is the Government going to take to improve the approval rate of applications under PMEGP? Thank you.

श्री जीतन राम माँझी : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक, जो 10.3.2025 तक है, उसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में इकाइयों की कुल संख्या 1,03,219 थी, जो सहायता प्राप्त करने के लिए आई थीं। इसमें हम लोगों ने करीब 38 प्रतिशत लोगों को लाभान्वित किया है। जहाँ तक rejection का सवाल है, तो यह बात सही है कि हम लोग bank guarantee तो देते ही हैं, साथ-साथ जो special category के लोग हैं, हम लोग उन लोगों को exempt भी करते हैं। उसी संदर्भ में बैंक के द्वारा जो registration हुआ है, वह reduce हुआ है। वह 2020-21 में 65 परसेंट तक हुआ है। सर, पहले यह 40 प्रतिशत था, जोकि 2024-25 में था, उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 65 प्रतिशत तक किया है। इसमें जो रिजेक्शन था, हमने उसमें कमी की है और अब यह 40 प्रतिशत है। मतलब वह deteriorating स्थिति में है। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि बैंकों द्वारा जो रिजेक्शन होता है, उसको कम से कम किया जाए। इसके लिए ऐसा भी होता है कि जो आवेदन रजिस्टर्ड किया जाता है, उसमें भी कहीं-कहीं विसंगतियां होती हैं। उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ...(**व्यवधान**)... ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को समझाते हैं कि आप एप्लीकेशन दें, तो ठीक ढंग से दें। इस तरह से हम लोग विसंगतियों को दूर करके यह प्रयास कर रहे हैं कि जहां तक रिजेक्शन का सवाल है, वह कम से कम हो। बैंकों को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हिदायद दी गई है कि जहां तक इस प्रकार के लोन देने की बात है, हम बैंक गारंटी देते हैं, आप किसी प्रकार से उन लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाएं। यह भारत सरकार का नियम है और काम है।

SHRI JOSE K. MANI: Sir, it has been reported that the mandatory inspection for the Prime Minister's Employment Generation Programme funded units have been significantly delayed. It has left around 6,500 units and approximately 26,000 entrepreneurs in Kerala alone in a difficult situation. This has forced many to continue repaying the entire loan amount along with interest. Entrepreneurs are unable to close their loan accounts leading to negative impacts on CIBIL score and, in turn, their eligibilities for further financial assistance. Sir, there is a concern that similar delays may be occurring in other States also. Could the Minister explain the reasons behind these inspection delays and details of the steps being taken to expedite the process and to ensure timely subsidy disbursement? Additionally, could the Minister clarify the rationale behind outsourcing inspection duties to an external agency?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री जीतन राम माँझी : महोदय, मैंने इस संबंध में जैसा पहले भी कहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैंकों द्वारा जो अस्वीकृत आवेदन होते हैं, उनको हम लोग स्वीकृत करते रहें। उस संबंध में हम लोगों ने काफी प्रोग्रेस किया है। हम कह सकते हैं कि 2021-22 में जहां 34.98 अस्वीकृति होती थी, आज 2024-25 में हम लोग 37.75 तक आ गए हैं। कहने का मतलब यह है कि हम लोग हर तरह से इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इंडिया का जो पोस्ट है, उसको integrated for physical verification and all the party cases will be rectified shortly. कहने का मतलब यह है कि इसमें कहीं जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम लोग हर तरह से रेक्टिफाई करके, उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 167; Sushri Priyanka Chaturvedi.